

FROM NO-3

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत एस0डी0ओ0

मुकाम

सरवाड़

शिकु

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

~~सरवाड़ टॉपेंटी~~

राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जौताभा

किस्म मुकदमा 136 दुरुस्ती इन्द्राज

नं.

सन् 2018

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स

नंबर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।

4.5.18

न्याय आपके द्वार अभियान -2018 के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट में वादी ने प्रार्थना पत्र पेशकर आवेदन पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सरवाड़ की कैम्प में ही रिपोर्ट प्राप्त की गयी। रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकार्ड में संवहन से गलत अंकन हो गया है जो शुद्धिकिये जाने योग्य है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

आवेदन का नाम व पता	शिकु D/0 रामदेव
वाद ग्रस्त भूमि का विवरण	2069-88 जौताभा 135
नाम पटवार हल्का	जौताभा
भू0अ0नि0 वृत्त	सरवाड़
वर्तमान (अशुद्ध) प्रविष्टि	शिकु
शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।	शिकु

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्ध / दुरुस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। आदेश पृथक से जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तंकीमिल दाखिल दफ्तर हो।

१६

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़

अध्यक्ष

लोक अदालत शिविर

सरवाड़ (अजमेर)